



प्रेस विज्ञप्ति

24/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई द्वारा अवैध खनन से संबंधित एक मामले में चल रही जाँच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 80.05 करोड़ रुपये मूल्य की कई अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने तेलंगाना के पटनचेरु पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेसर्स संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई, जिसके मालिक गुडेम मधुसूदन रेड्डी और अन्य हैं, ने निर्धारित खदान क्षेत्र में अत्यधिक खनन करके और गैर-आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध खनन करके सरकार को धोखा दिया है, जिससे सरकार को देय रॉयल्टी के रूप में 39.08 करोड़ रुपये का भारी राजस्व नुकसान हुआ है और उन्होंने गलत तरीके से 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। इनके द्वारा किये गए अवैध खनन से 300 करोड़ रुपये की हानि हुई।

जाँच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप मेसर्स संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई के मालिक गुडेम मधुसूदन रेड्डी के पास से कई मूल संपत्ति दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। आगे की जाँच से पता चला कि हालाँकि ये संपत्तियाँ अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर थीं, लेकिन इन संपत्तियों के लाभार्थी स्वामी गुडेम मधुसूदन रेड्डी हैं। इन संपत्तियों के कथित मालिकों की जाँच से पता चला कि ये गुडेम मधुसूदन रेड्डी की बेनामी संपत्तियाँ थीं।

यह भी पता चला कि खनन लाइसेंस सरकार द्वारा मेसर्स संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई को दिया गया था और बदले में उन्होंने इसे गुडेम मधुसूदन रेड्डी और जी विक्रम रेड्डी की साझेदारी वाली फर्म मेसर्स जीवीआर एंटरप्राइजेज को उप-अनुबंधित कर दिया। पट्टे की शर्तों के अनुसार इस उप-अनुबंध की अनुमति नहीं थी और इसके अलावा सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि अवैध रूप से खनन किए गए उत्पादों को मुख्य रूप से नकद में बेचा गया था और इस तरह से अर्जित अपराध की आय (पीओसी) को ज्यादातर बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया था। तदनुसार, जाँच के दौरान 78.93 करोड़ रुपये मूल्य की 81 ऐसी संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। इसके अलावा, अवैध रूप से खनन की गई सामग्री के खरीदारों से मेसर्स जीवीआर एंटरप्राइजेज को कुछ राशि भी देय थी और ये राशियाँ भी पीओसी का प्रतिनिधित्व करती हैं और तदनुसार इन संस्थाओं के नाम पर 1.12 करोड़ रुपये की सावधि जमा भी कुर्क की गई है।

आगे की जाँच जारी है।